न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/102/2024 रजू दिनांकः 12.08.2024 रजि0 न0 2024/179

अपीलार्थीः–

श्री उम्मेद पुत्र ताराचंद मीना, निवासी कुण्ड्यल, पो0 अजबगढ़, तह0 थानागाजी, अलवर–301027, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 27.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/1666 दिनांक 23.08.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के Online RTI आवेदन क्रमांक 293548576964117 के परिप्रेक्ष्य में Online RTI Portal पर पत्रांक 3008424854 दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर विनिश्चय किया जाकर सूचना (कुल 11 पृष्ठ) प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में Online RTI Portal पर पत्रांक 3008424854 दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर विनिश्चय किया जाकर सूचना (कुल 11 पृष्ठ) प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)